

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी - जोगेन्द्र सिंह आर ए एस

मुकदमा नम्बर 106/2021 राजस्व वाद

- 01 मांगू पुत्र स्व आशा उर्फ आसु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 02 नैना पुत्र स्व आशा उर्फ आसु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 03 कमली पुत्री स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 04 नारायण पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 05 रोशन पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 06 गोरधन पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
- 07 सुखी पुत्री स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

— वादी

**बनाम**

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— प्रतिवादीगणगण

**वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती**

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88,89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :-

श्री विनोद कुमार तिवारी  
पैरोकार सरकार

—अधिवक्ता वादी

—अधिवक्ता-प्रतिवादीगण संख्या 01

**:: निर्णय ::**

दिनांक-11.08.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगणगण के विरुद्ध वाद बाबत घोषणा का अन्तर्गत धारा 88,89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 67 में आराजी नम्बर 1068 रकवा 1.2646 हैक्टयर, आराजी नम्बर 169 रकवा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1070 रकवा 0.885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1071 रकवा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1072 रकवा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1073 रकवा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1074 रकवा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1087 रकवा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1088 रकवा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1089 रकवा 0.3415 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1090 रकवा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1091 रकवा 1.3532 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2209/180 रकवा 0.3162 हैक्टयर कुल कित्ता 13 कुल रकवा 4.4262 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण एवं मृतक रायमल पुत्र आशा गुर्जर के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजियात को वादपत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा। नैना, भैरा, रायमल व मांगू स्व. आशा गुर्जर के पुत्र थे। नैना, भैरा और रायमल फौत हो गये, भैरा के वारिसान नारायण, रोशन, गोरधन, सुखी व कमली हैं तथा नैना के वारिसान नारायण, रोशन, गोरधन, सुखी व कमली हैं। मृतक रायमल के विधिक वारिसान वादीगण हैं। विवादित आराजियात वादीगण के नाम पर है, जो कि स्व. आशा गुर्जर से विरासत में प्राप्त हुई हैं तथा उक्त आराजियात में वादीगण व मृतक रायमल की हक हिस्सा निहित हैं तथा रायमल जो कि वादी संख्या 01 व 02 का भाई तथा वादी 03 लगायत वादीगण का हक हिस्सा निहित हैं तथा रायमल जो कि वादी संख्या 01 व 02 का भाई तथा वादी 03 लगायत वादीगण के काका थे तथा रायमल की मृत्यु दिनांक 08.08.2016 को हो चुकी है जिनके कोई जायदा प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं हैं तथा रायमल लाओलाद फौत हो चुका है तथा मृतक रायमल की वादग्रस्त आराजियात में अवस्थित भूमि हिस्से पर वादीगण का विज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा मृतक रायमल की मृत्यु के

187  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

समस्त सामाजिक क्रियाकर्म का स्वर्ण भी वादीगण ने वहन किया है तथा वादीगण ही उक्त आराजियात पर काबिज है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी एवं मौरुरी कृषि भूमि होकर वादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की संघदा है जिसमें सभी पक्षकारान का संयुक्त रूप से कब्जा एवं उपभोग चला आ रहा है जिसका विभाजन नहीं हो रहा है तथा रायमल लाओलाद फोट हो चुका है, जिसके समस्त सामाजिक क्रियाकर्म के स्वर्ण का वहन भी वादीगण ने वहन किया, इसलिए रायमल के नाम की आराजियात का वादी संख्या 01 व 02 एवं वादी संख्या 03 लगायत 07 प्रत्येक को 1/24 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में बहसियत खातेदार अंकन करवाने की अधिकारी हैं। दिनांक 05.07.2021 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण वादीगण के नाम पर खोलने हेतु कहने व प्रतिवादीगण के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आराजियात का नामान्तकरण वादीगण के नाम पर खोलने हेतु इन्कार कर देने एवं वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने की धमकी देने के कारण यह वादपत्र प्रस्तुत करने की नीबत उत्पन्न हुई। वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का है, जो प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा, जिला भीलवाडा के विरुद्ध हैं जिनके विरुद्ध कोई भी वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसको न्यायालय में विचारणार्थ ग्रहण किये जाने हेतु अनुमति निवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 का अलग से प्रस्तुत हैं तथा वादग्रस्त आराजियात में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि इनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के नाय वाद कारण दिनांक 05.07.2021 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। विवादित कृषि आराजियात वादीगण के नाम में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती एवं घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि सरहद इणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा की खाता संख्या 67 मे आराजी नम्बर 1068 रकबा 1.2646 हैक्टयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 70 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1071 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1072 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1073 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1074 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1075 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1089 रकबा 0.3415 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1090 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1091 रकबा 1.3532 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 4.4262 हैक्टयर भूमि में से रायमल के 1/8 हक हिस्से की आराजियात का वादी संख्या 01 व 02 एवं वादी संख्या 03 लगायत 07 प्रत्येक को 1/24 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में रायमल का नाम विलोपित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावें।

पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा वादपत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये व वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य स्वरूप पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा प्रकरण में जमाबन्दी नकले रजिस्टर्ड वादपत्र की प्रति व राजस्व रेकॉर्ड के दस्तावेजात पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादी ने दोराने बहस वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणगण के पूर्वज द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय शुदा होने से प्रतिवादीगणगण के खाते से भूमि कम कर भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात जो कि चुनीया द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.02.1969 को किया है जो कि वादीगण के नाम पर दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगणगण के नाम पर गलत तौर पर दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा क्रयशुदा भूमि प्रतिवादीगणगण के खाते से कम कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगणगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा की खाता संख्या 67 मे आराजी नम्बर 1068 रकबा 1.2646 हैक्टयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 70 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1071 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1072 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1073 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1074 रकबा 0.2909 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1075 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1089 रकबा 0.3415 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1090 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1091 रकबा 1.3532 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1092 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 4.4262 हैक्टयर भूमि में से रायमल के 1/8 हक हिस्से की आराजियात का वादी संख्या 01 व 02 एवं वादी संख्या 03 लगायत 07 प्रत्येक को 1/24 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में रायमल का नाम विलोपित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावें।

सहायक कलक्टर करेडा

निवेदन  
निवेदन

ना. 11/20/2021  
रेशम

जो न. 11/20/2021  
कमली

रेशम

**न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा (राजस्थान)**

मूल काद मे लिखी :-  
(आदेश 20 नियम 6-7 जाणवी0)

चिताम्बा अभिलेखी - जोगेन्द्र सिंह आर ए एस

मुकदमा नम्बर 106 / 2021 राजस्व काद

- 01 मांगू पुत्र स्व आशा उर्फ आसु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 02 मेना पुत्र स्व आशा उर्फ आसु गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 03 कमली पुत्री स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 04 नानायण पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 05 रोशन पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 06 गौरधन पुत्र स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
- 07 सुरवी पुत्री स्व भैरा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी-सेहणुन्दा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।

— वादी

**बनाम**

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

— प्रतिवादीगणगण

**वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती**

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88,89,92-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**


वादीगण की ओर से श्री विनोद कुमार तिवाडी, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्ली की जाती है कि वादी और इस मद के खर्च लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा की खाता संख्या 67 मे आराजी नम्बर 1068 रकबा 1.2646 हैक्टर, आराजी नम्बर 169 रकबा 0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर 1070 रकबा 0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर 1071 रकबा 0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर 1072 रकबा 0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर 1073 रकबा 0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर 1074 रकबा 0.2909 हैक्टर, आराजी नम्बर 1087 रकबा 0.2023 हैक्टर, आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.1265 हैक्टर, आराजी नम्बर 1089 रकबा 0.3415 हैक्टर, आराजी नम्बर 1090 रकबा 0.2403 हैक्टर, आराजी नम्बर 1091 रकबा 1.3532 हैक्टर, आराजी नम्बर 2209/180 रकबा 0.3162 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 4.4262 हैक्टर भूमि में से रायमल के 1/8 हक हिस्से को वादी संख्या 01 लगायत 07 प्रत्येक को 1/24 हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड से रायमल का नाम विलोपित किया जाकर

10/8


**उपखण्ड अधिकारी पट-  
सहायक क्लर्क करेडा**

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज की जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावें व प्रतिवादीगण सख्या 01 वादीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान आदि नहीं करें व वादीगण को शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने दें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

  
(जोगेन्द्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
आर ए एस  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)